(वाद सं0–1851/4/39/2020)

07.04.2022

परिवादी, दहाउर दास, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी के बनाये गये झोपड़ीवाले जमीन के मालिक के अनुरोध के बिना ही परिवादी को जाति सूचक गाली देकर उसे अपनी झोपड़ी को तत्काल हटाये जाने की धमकी दिये जाने से संबंधित है।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का रामजन्म दास से आंधी में गिर पड़े पुराने पेड़ को लेकर विवाद था। इसी विवाद पर जब परिवादी से पुलिस द्वारा पूछ–ताछ की गयी तो उनके द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया गया जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी को डांट फटकार लगाया गया।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी का कथन है कि नदी के कटाव के बाद वह जिस रंजीत सिंह के जमीन पर आकर बस गया था उससे उसका विवाद है तथा रंजीत सिंह उसे अपने जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। परिवादी यह स्वीकार करते हैं कि जिस जमीन पर वह झोपड़ी बनाकर रह रहें है वह उस जमीन का स्वामी नहीं है, बल्कि उस जमीन का स्वामी रंजीत सिंह है।

प्रसंगाधीन मामला, एक भूमि विवाद प्रतीत हो रहा है जिसके संबंध में सिविल न्यायालय/सक्षम प्राधिकार में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामला, भूमि विवाद है जिसका समुचित समाधान सिविल न्यायालय में ही संभव प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक